DR. K. MALAISAMY: Sir, according to me, minor ports have got tremendous potentiality throughout the length and breadth of the country. The Minister may try to say that it is within the purview of the States and he has nothing to do with it. What I am trying to say, in conformity with the views expressed by Kurienji, is that this is a problem which can't be handled by the concerned State. On the other hand, they need assistance in terms of financial allocation, technical advice, etc. So far, the Central Government does not take into account any of these aspects. At least, hereafter, taking into account the tremendous potentiality available, will you come into the picture and do something in terms of allocation, in terms of advice, etc.? Can you do something?

SHRI G.K. VASAN: Sir, I would like to tell the Member, through you, that though development of minor ports rests with the respective State Governments, interaction with maritime States is being held under a forum chaired by the Union Minister, namely, Maritime State Development Council. I would also like to tell the hon. Member that as per the Indian Ports Act, 1908, non-major ports are under the overall jurisdiction of the respective State Governments.

DR. (SHRIMATI) NAJMA A. HEPTULLA: Sir, our country has got a very vast coastline and we have also got many major rivers. Has the Government got any proposal? In Maharashtra, in Mumbai, we had the Mumbai port. Then Nhava Sheva was developed. The Nhava Sheva port is now congested. The Ratnagiri port is another port which was used very extensively during Shivaji's time. Similarly, there are many minor ports. Has the Government got any proposal to develop these minor ports into major ports and assist the State Governments? They can't do it on their own, as Prof. Kurien has also said. There are many ports, not just one. We have many ports and it will be cheaper to transport through water. All over the world, we are using water more than roads.

SHRI G.K. VASAN: Sir, I would like to inform the hon. Member that financial assistance is given to non-major ports by way of grant for conducting detailed study. No other form of assistance is provided. But all this has to be mooted by the State Government.

निजी विद्यालयों में गरीब छात्रों के लिए कोटा

*246. **श्री भगवती सिंह** :††
श्री जनेश्वर मिश्र:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले शिक्षा के अधिकार संबंधी प्रस्तावित विधेयक में गरीब छात्रों के लिए बड़े निजी विद्यालयों में पच्चीस प्रतिशत प्रवेश का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास गरीब छात्रों को प्रवेश देने का कोटा पूरा कर लेने वाले निजी विद्यालयों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

---

††सभा में यह प्रश्न श्री भगवती सिंह द्वारा पूछा गया।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(**क**) 15 दिसंबर, 2008 को राज्य सभा में प्रस्तुत किए गए बालकों का नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संबंधी विधेयक, 2008 में प्रावधान है कि कोई भी ऐसा सहायता रहित निजी स्कूल जिसे अपने खर्च पूरे करने के लिए उपयुक्त सरकारी अथवा स्थानीय प्राधिकरण से किसी भी प्रकार की सहायता अथवा अनुदान प्राप्त नहीं हो रहा है, कक्षा I में उस कक्षा की कुल संख्या के कम से कम 25 प्रतिशत तक की संख्या में पास-पड़ोस के कमजोर वर्ग और वंचित समूह से संबंध रखने वाले बच्चों को दाखिला देगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेगा।

(ख) और (ग) 2006-07 में देश में सहायता रहित निजी स्कूलों की संख्या 1,24,313 थी। इन स्कूलों में गरीब विद्यार्थियों के दाखिले को संबद्ध राज्य सरकार के कानून/विनियम शासित करते हैं। उपर्युक्त बालकों का नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संबंधी विधेयक 2008 के समक्ष है और ऐसे स्कूलों में पास-पड़ोस के गरीब विद्यार्थियों को 25 दाखिले का प्रावधान इसके अधिनियम के बाद ही प्रभावी होगा।

Quota of poor students in private schools

†*246. SHRI BHAGWATI SINGH:††
SHRI JANESHWAR MISHRA:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether there is a provision to admit twenty five per cent poor students in big private schools in the proposed Right to Education Bill approved by Government;

(b) if so, whether Government has any data about the number of private schools which have fulfilled the quota for admission to poor students; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): (a) to (c) A statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) The Right of Children to Free and Compulsory Education Bill, 2008 introduced in the Rajya Sabha on 15th December, 2008 provides that a private unaided school, not receiving any kind of aid or grants to meet its expenses from the appropriate Government or the local authority, shall admit in class I, to the extent of at least twenty-five per cent of the strength of that class, children belonging to weaker sections and disadvantaged groups in the neighbourhood and provide free and compulsory elementary education to them.

(b) and (c) In 2006-07, there were 1,24,313 private unaided elementary schools in the country. Admission of poor students in such schools is governed by laws/regulations of the respective State Government. The aforesaid Right of Children to Free and Compulsory

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Bhagwati Singh.

Education Bill 2008 is before the Parliament and the provision of 25% admission of poor students from the neighbourhood in such schools will come into effect only after its enactment.

श्री भगवती सिंह : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक ही जानकारी चाहता हूं कि अनिवार्यता का पालन न करने वाले विद्यालयों के खिलाफ क्या कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ? क्योंकि माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद निजी विद्यालयों ने 15 प्रतिशत विद्यार्थियों का प्रवेश लेने से मना कर दिया है, फिर भी, वे संचालित हो रहे हैं।

SHRI KAPIL SIBAL: Mr. Chairman, Sir, I would like to inform the hon. Member that it is not 15 per cent, it is 25 per cent under this Act. But this Act has not yet become law. I think it is a bit premature for us to decide what action we are going to take against. Let somebody violate and then we will see what we can do.

श्री जनेश्वर मिश्र : सभापति महोदय, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जो भी निजी विद्यालय इस शर्त को नहीं मान रहे हैं, उनकी लीज़ डीड केंसिल कर दी जाएगी। क्या इसके बारे में सरकार को जानकारी है ?

मेरा एक छोटा-सा सवाल माननीय मंत्री जी से है। गरीबों के बच्चों के लिए आपने देशभर में मिड डे मील की स्कीम चलाई है। क्या गरीबों के बच्चे, इन उच्च वर्ग के विद्यालयों के बच्चों के साथ मिल जाएंगे? मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या आप वहां भी उनको मिड डे मील देंगे ? ताकि बड़े लोगों के और छोटे लोगों के बच्चे मिलकर खिचड़ी खा सकें और उनकी आपसदारी बढ़ सके।

श्री कपिल सिब्बल : सर, माननीय सदस्य ने जो दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में कहा है, उसकी हमें जानकारी है। उसके अन्तर्गत कोर्ट ने यह कहा है कि अगर 15 प्रतिशत रिजर्वेशन नहीं करेंगे, तो उनकी लीज़ केंसिल होगी। यह एक नया कानून है। इसका दिल्ली कानून से कोई ताल्लुक नहीं है और इसके अन्तर्गत हमने यहां प्रावधान रखा हुआ है कि अगर कोई भी इस कानून का उल्लंघन करेगा, तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी और उसकी recognition भी जा सकती है।

श्री जनेश्वर मिश्र : सर, मिड डे मील के बारे में भी बताइए।

श्री कपिल सिब्बल : सर, जहां तक मिड डे मील का सवाल है, उसका इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री जनेश्वर मिश्र : सर, यहां पर कई बार मांग की गई है कि समान शिक्षा दी जाएगी। समान शिक्षा न दें, परन्तु समान मिड डे मील तो सभी बच्चों को दे दें।

श्री सभापति : जनेश्वर जी, वह अलग बात है।

SHRI MATILAL SARKAR: Sir, students have to pay big amount for admission to private schools. As the hon. Minister has stated, poor students will have free education. It will be a great relief to the poor students. What will be the criterion for selection of 25 per cent students? I would like to know whether the State Government would have the power to intervene. I would also like to know whether the SC, ST and OBC students would also have the right to free education.

SHRI KAPIL SIBAL: There are two definitions provided, both in respect of disadvantaged members of the community as well as the economically weaker sections of the society. Both are defined in the Act. In terms of those definitions, the Government will frame appropriate rules and regulations in order to determine in what manner they are to be admitted.

श्री शिवानन्द तिवारी : सभापति महोदय, यह जो मूल सवाल है, इसका (ख) भाग है कि क्या सरकार के पास गरीब छात्रों को प्रवेश देने का कोटा पूरा कर लेने वाले निजी विद्यालयों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े हैं ? मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि 1973 से देश में जो निजी विद्यालय हैं, जिनको सरकारी जमीन दी गई है, वैसे विद्यालयों में 25 प्रतिशत जो पड़ोस के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको दाखिला लेने का एक नियम बना था। इस सवाल में पूछा गया है कि जो नया कानून बनने वाला है, उसके पहले से जो प्रक्रिया लागू है, उसमें 25 प्रतिशत विद्यार्थियों का कोटा पूरा करने वाले कितने विद्यालय हैं? यह मैं जानना चाहता हूं जिन्होंने कोटा पूरा नहीं किया है, क्या आपने उनको दंड देने का कोई उपाय किया है? महोदय, मैं आपकी इजाजत से इसी प्रश्न में यह भी पूछना चाहता हूं कि जो इस तरह के पब्लिक स्कूल हैं और जिनमें बड़े घरों के बच्चे पढ़ते हैं, आपने उनमें 25 परसेंट कोटा दिया है, क्या अलग-अलग पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के दिमाग पर इससे कोई फर्क पड़ता है और क्या आपने इस बार में कोई स्टडी की है?

श्री कपिल सिब्बल : महोदय, इस बात पर कोई पंद्रह, सोलह साल हो गए हैं और हम इसके बारे में यह देख रहे हैं कि आंकड़े क्या हैं और कैसे हमें आगे बढ़ना है। सन् 1993 के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, तो आज सोलह साल बाद हम इसमें लौ लाए हैं। इस पर कई कमेटीज बैठ चुकी हैं। इस बारे में राज्य सरकारों से भी बातचीत हो चुकी है। जहां तक इस बिल का सवाल है, इसके अंतर्गत अगर कोई ...(**व्यवधान**)... एक मिनट। अगर इस बिल के अंतर्गत कोई प्रावधान का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री राजीव शुक्ल : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि 25 प्रतिशत गरीब छात्रों को जो एडमिशन देने की अनिवार्यता है, उससे स्कूल मैनेजमेंट को जो नुकसान होता है, वे सारा पैसा फीस बढ़ाकर दूसरे स्टूडेंट्स से वसूल लेते हैं? अपना नुकसान सहने के बजाय, जो मिडल क्लास स्टूडेंट्स या दूसरे स्टूडेंट्स हैं, उनकी फीस इतनी बढ़ा देते हैं कि उनके घाटे की भरपाई हो जाए और उनका अपना कोई नुकसान न हो?

श्री कपिल सिब्बल : हमने यहां पर इस कानून में यह प्रावधान रखा है कि जहां पर भी 25 परसेंट गरीब छात्रों का एडमिशन होगा, उन स्कूलों को compensate किया जाएगा। जो compensation की नीति है, हमने वही नीति इस कानून में बनाई है कि सरकार जो भी पैसा किसी एक बच्चे पर सालाना खर्च करती है, उसके हिसाब से प्रावइवेट स्कूल को compensate किया जाएगा।

Loans extended to minorities

*247. SHRI K.E. ISMAIL:
SHRI D. RAJA:††

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the public sector banks have any targets for loans to be extended to the minorities;

(b) if so, what was the target for 2007-08, 2008-09 and for 2009-10 and what was the real outstanding loans to minority communities during the same period; and

(c) what steps are being taken to ensure that the target is achieved?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

---

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri D. Raja.